

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 404]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 2019—आश्विन 8 शक 1941

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. 16325-261-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 सितम्बर, 2019 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

#### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २०१९

#### मध्यप्रदेश नगरपालिका ( संशोधन ) अधिनियम, २०१९

[दिनांक १६ सितम्बर, २०१९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३० सितम्बर, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

#### मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३५ में, खण्ड (च) का लोप किया जाए.

धारा ३५ का संशोधन.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2019

क्र. 16325-261-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
NO. 22 OF 2019

THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2019

[Received the assent of the Governor on the 16th September, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th September, 2019.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Municipalities (Amendment) Act, 2019.

Amendment of  
Section 35.

2. In Section 35 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), clause (f) shall be omitted.